12/A

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

तारीख रज्जू–08/09/17

अपील संख्या– 316/17

1 रमाकान्त पुत्र बदरी लाल जाति ब्राहमण उम्र 75 साल पेशा रिटायर्ड कर्मचारी निवासी कुर्मी मोहल्ला आजाद चौक, बौंली तह0 बौंली जिला सवाईमाधोपुर –अपीलान्ट

बनाम

1. रेवती रमण उर्फ मनमोहन शर्मा पुत्र घनश्याम शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 45 वर्ष पेशा पण्डिताई का कार्य निवासी जोशी मोहल्ला, राम मन्दिर के पास, बौली तह0 बौली जिला स0मा0
2. सरकार जरिये तहसीलदार जी महोदय, (भू–अभिलेख) तह0 बौली जिला स0मा0

–रेस्पोडेन्ट्स

दिनांक– 5.4.19

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील ग्राम बौंली के नामान्तकरण संख्या 492 में पारित निर्णय दिनांक 09/10/15 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त नामान्तकरण द्वारा ग्राम बौंली में परसराम पुत्र बदरी लाल की स्थित खातेदारी भूमि का परसराम के फौत हो जाने पर उसके वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम नामान्तकरण तस्दीक हुआ है,साथ ही अपीलान्ट ने नामान्तकरण सं0 492 निर्णय दिनांक 09/10/15 वाके ग्राम बौंली अपास्त करने हेतु निवेदन किया है।

अपील न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से स्थानान्तरण होकर वास्ते रिकोर्ड तलबी न्यायालय हाजा में प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा मूल रिकोर्ड प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि उक्त वाद आराजीयात पर कभी भी रेस्पोडेन्ट सं0 1 का मौके पर कब्जा नहीं रहा तथा अपीलान्ट ही मोके पर काबिज होकर काश्त करता आया है। उक्त वाद–आराजीयात पैतृक सम्पत्ति है। अतः अपीलान्ट के नाम ही मृतक परसराम की विरासत का नामान्तकरण तस्दीक होना चाहिए, साथ ही वकील अपीलान्ट ने नामान्तकरण सं0 492 निर्णय दिनांक 09/10/15 वाके ग्राम बौंली निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

13/A

वकील रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि परसराम के फौत हो जाने पर रेस्पोंडेन्ट सं0 1 के नाम नामान्तकरण जरिये रजिस्टर्ड वसीयत से खुला है। अपीलान्ट द्वारा मौके पर कब्जा होना बताकर उक्त नामान्तकरण निरस्त करवाना चाहता है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत कोई व्यक्ति बिना वसीयत के फौत हो जाता है तो उसके उत्तराधिकार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत तय होगे। लेकिन उक्त नामान्तकरण जरियें रजिस्टर्ड वसीयत से खुला है। यदि अपीलान्ट उक्त नामान्तकरण से प्रभावित है तो उसे उक्त रजिस्टर्ड वसीयत को निरस्त करवाने हेतु मा0 सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिए था, साथ ही वकील रेस्पोडेन्ट ने उक्त नामान्तकरण संख्या 492 निर्णय दिनांक 09/10/15 वाके ग्राम बौली यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि उक्त नामान्तकरण जरिये रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर तस्दीक हुआ है। जिसे अपीलान्ट ने मौजुदा अपील में भी स्वीकार किया है तथा रजिस्टर्ड वसीयत निरस्त करने का अधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है। अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण निरस्त करवाने से पूर्व मा0 सिविल न्यायालय में उक्त रजिस्टर्ड वसीयत निरस्त करवाने हेतु वाद प्रस्तुत करना चाहिए था। अतः हमारे अभिमत में अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा नामान्तकरण संख्या 492 में पारित निर्णय दिनांक 09/10/15 वाके ग्राम बौली यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 5.4.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अति0जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर